(6)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या 684/XXVII(9)/स्टाम्प–01/2010
देहरादूनः दिनांकः 13 अगस्त, 2010

अधिसूचना/संशोधन

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, 1908) की धारा 78 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन 1897) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सरकारी अधिसूचना संख्या एस0आर0–976/11–95–500 (51)/75 दिनांक 31 मार्च 1976 समय–समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) रजिस्ट्रेशन शुल्क की सारिणी में शब्द 'पांच हजार रूपये मात्र' के स्थान पर शब्द 'दस हजार रूपये मात्र' रख दिये जायेंगे।

(ख) अनुच्छेद–1 में, एवं अनुच्छेद 1 की टिप्पणी के खण्ड (पांच) में शब्द और अंक "5 रू0" जहां कहीं आये हों, के स्थान पर "दस रूपये" रख दिये जायेंगें।

(ग) अनुच्छेद–3 में, एवं अनुच्छेद 3 के अन्त में आने वाले परन्तुक में, शब्द एवं अंक "5 रू0" जहां कहीं आये हो, के स्थान पर शब्द "दस रूपये" रख दिये जायेंगे।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 684 (1)/XXVII(9)/2010/स्टाम्प–01/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– न्याय/विधायी अनुभाग/भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, जिला हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को (अंग्रेजी के रूपान्तरण सहित) सरकारी गजट में आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100–100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
5– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

C:\Documents and Settings\ne\Desktop\RBO\Rules Draft.doc

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 684/XXVII(9)/ Stamp-01/2010 dated August. 13 2010.

Government of Uttarakhand
Vitta Anubhag –9
No. 684/XXVII(9) Stamp-01/2010
Dehradun, Dated 13 August. 2010

Notification/Amendment

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication in the Gazette the following amendment in Government notification no. SR 976/X-500-(51)/75 dated March 31, 1976 as amended from time to time.

(a) In the Table of Registration Fees for the words "five thousand rupees only" the words. "ten thousand rupees only" shall be substituted.

(b) In Article I and in clause (v) of note below Article I for the words and figures "Rs. 5" wherever occurring the words "ten rupees" shall be substituted.

(c) In Article III and in the proviso appearing in the end of Article III for the words and figure" Rs.5" wherever occurring the words "ten rupees" shall be substituted.

(Alok kumar Jain)
Principal Secretary

C:\Documents and Settings\user\Desktop\RBU\Rules Draft.doc

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग--9
संख्या-- / 2015 / XXVII(9) / स्टाम्प--01 / 2010
देहरादूनः दिनांकः 14 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 78 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से शासन की अधिसूचना संख्या 684 / XXVII(9) / स्टाम्प--01 / 2010, दिनांक 13 अगस्त, 2010 के प्रस्तर (क) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(क) रजिस्ट्रेशन शुल्क की सारिणी में शब्द "दस हजार रूपये मात्र" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार रूपये मात्र" रख दिये जायेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्या 217 (1) / 2015 / XXVII(9) / स्टाम्प--01 / 2010 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--
1. मण्डलायुक्त, कुमायूँ / गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
5. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0डी0 बेलवाल)
अनु सचिव।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मसूरी बाईपास रोड़, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून, पुलिया नं0--6 के समीप)

पत्रांक : 377 / म0नि0नि0 / 2015--16 दिनांक : 14 सितम्बर, 2015

सेवा में,

समस्त जिला निबन्धक, /
समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन /
समस्त उप निबन्धक,
उत्तराखण्ड।

महोदय,

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0 आर0 जोशी)
प्रभारी अपर महानिरीक्षक निबन्धन
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून।